जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 47 प्रभात चूरू, बुधवार 15 जून, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

पवार ने राष्ट्रपति पद के लिये संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनने से क्यों इंकार किया?

व्यवहारिक नेता पवार की हाँ या ना, उनके अपने जीतने की संभावना के मूल्यांकन पर पूर्णतया निर्भर करती है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। आगामी राष्ट्रपति-चुनाव के लिये विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार की तलाश के बीच, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा नैशनलिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा चुनाव मैदान में उतरने के लिये किया गया औपचारिक इनकार, विपक्ष के प्रयासों के लिये एक धक्का है या फिर अंतिम निर्णय से पहले की एक हिचकिचाहट मात्र है। यह प्रश्न इस समय राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जो लोग इस घुटे हुये राजनेता को पिछले पाँच दशक से भी अधिक समय से भली भाँति जानते हैं और उन पर सूक्ष्म नजर रखे हुये हैं, उनका कहना है कि उनके इनकारों के बावजूद, किसी आकस्मिक एवं अप्रत्याशित घोषणा को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पवार जीत की संभावनाओं का पता लगाये बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी आप राष्ट्रीय राजनीति में पवार के निवास पर उनसे मिलीं। बताया जाता है कि उन्होंने पवार को यह समझाने और आश्वस्त करने की कोशिश की कि वे 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिये विपक्ष के सामूहिक उम्मीदवार होंगे।

- **अगर मतदान से पूर्व, चुनाव अभियान के अंतिम क्षणों में भी पवार अश्वस्त हो गये कि, वे विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जीत सकते हैं तो, अपनी ना को बिना हिचकिचाहट के हाँ में तब्दील कर सकते हैं और विपक्ष के उम्मीदवार बन सकते हैं।**
- **बहरहाल, फिलहाल पवार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं तथा इन नेताओं के मन की टोह ले रहे हैं। मंगलवार को इस संदर्भ में ममता बनर्जी, पवार से मुलाकात करने उनके घर गयीं।**
- **2021 में जब प्रशांत किशोर, शरद पवार से मिले थे तथा उन्होंने पवार को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया था, तब पवार ने जवाब दिया था कि, जब एक पार्टी (भाजपा) के ही 300 से अधिक सांसद हैं, तो मैं नहीं समझता कि, विपक्ष के उम्मीदवार की राष्ट्रपति बनने की संभावना है। मैं विपक्ष का उम्मीदवार नहीं बनूंगा।**

एक नेता ने कहा कि राजनीति का यह मराठा योद्धा इस समय विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मीटिंगों में लगा हुआ है तथा उनके अपने-अपने नजरिये से किये जा रहे आँकलनों को ध्यान से सुन रहा है जिससे सभी संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुये किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके। इस नेता ने कहा कि अगर उनके जीतने की संभावनाएं युक्तिसंगत रूप से आश्वस्तिपूर्ण होंगी, केवल तभी वे अपने इनकार पर पुनर्विचार करेंगे अन्यथा अपनी "नहीं" पर अड़े रहेंगे।

जून 2021 में, जब चुनाव-रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पवार से भेंट की थी तो इस मीटिंग से ये अटकलें शुरू हो गई थीं कि प्रशांत किशोर इस 81-वर्षीय मराठा दिग्गज को देश के राष्ट्रपति के रूप में देखने की कोशिशों की खातिर लामबंदी कर रहे हैं।

पवार, जो व्यावहारिक एवं परिणामवादी राजनीति के गंभीर साधक एवं उस पर आचरण करने वाले हैं, ने तत्काल इन अटकलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "जब एक अकेली पार्टी (सत्तारूढ़ भाजपा) के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

बलात्कार

अजमेर, 14 जून (कासं)। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती 23 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। खास बात यह रही कि बलात्कार हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंगकर्मी ने किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ आए उसके भाई को फिल्म देखने के लिए भेज दिया। फिर युवती को ड्रिप लगाकर बेहोश कर रेप किया।

- **अजमेर के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती 23 वर्षीय युवती के साथ एक नर्सिंग कर्मी द्वारा बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है।**

पुलिस के मुताबिक एक थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला सोमवार सुबह 11 बजे अपने मौसी के लड़के के साथ उपचार के लिए अस्पताल गई थी। अस्पताल में युवती की मुलाकात उसके पूर्व परिचित नर्सिंगकर्मी राजेश से हुई।

उसने युवती के उपचार के जिम्मेदारी ली। पीड़िता के अनुसार नर्सिंग कर्मी ने आपातकालीन इकाई में भर्ती करने के बाद उसको ड्रिप लगा दी और उसे नशीली दवा दे दी। आरोप है कि बाद में आरोपी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। वहीं मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है।

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा

पत्र में इन न्यायविदों ने लिखा है कि, सुप्रीम कोर्ट को स्वयमेव ही, यू.पी. में "हिंसक प्रदर्शनकारियों" के मकान पर बुलडोज़र चलाने की कार्यवाही पर रोक लगवानी चाहिये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणियां किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस हिरासत में बंद आंदोलनकारियों पर कथित पुलिस हिंसा और उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व जजों तथा सीनियर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सी.जे.आई.) तो पत्र लिखकर उन्हें इस मामले में स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेने को कहा है।

सी.जे.आई. एन.वी. रमना को दी गई पत्र याचिका में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के राज्य प्रशासन ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अपनी बात कहने का अवसर देने के बजाए उनके खिलाफ हिंसा की अनुमति दी।

पत्र याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों में बी. सुदर्शन रेड्डी, वी. गोपाल गौडा, ए.के. गांगुली, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए.पी. शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के. चन्द्रू, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस मोहम्मद अनवर और सीनियर एडवोकेट्स शांति भूषण (पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री), इंदिरा जय सिंह, चन्द्र उदय सिंह, श्रीराम पांचू, आनंद ग्रोवर और एडवोकेट प्रशांत भूषण शामिल हैं।

एक सम्बद्ध घटनाक्रम में जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को कोर्ट की शरण ली कि उत्तर प्रदेश में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अब आगे और विध्वंस कार्रवाई ना की जाए।

पत्र आवेदन में कहा गया है कि "बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने अधिकृत रूप से अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करें, जिससे ऐसे दृष्टान्त कायम हो जाये कि कोई ऐसे अपराध न करे तथा भविष्य में कानून अपने हाथ में नहीं ले। उन्होंने निर्देश दिये कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 तथा यू.पी. गैंगस्टर्स एण्ड एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रीवैन्शन) एक्ट 1086 गैर कानूनी विरोध करने के अपराधी पाये जाने वाले लोगों पर लागू किये जायें। इन टिप्पणियों से प्रेरित होकर पुलिस ने आंदोलनकारियों के प्रति जघन्य तथा गैर कानूनी यातनाएं देने का दुस्साहस दिखाया।"

- **साथ ही जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने भी सुप्रीम कोर्ट को एक खत के मार्फत याचिका दर्ज करा कर कहा है कि, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि, कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर भविष्य में विध्वंसात्मक कार्यवाही ना हो।**

पत्र-याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किये है तथा उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। इसमें उन विभिन्न विडियोज़ का भी हवाला दिया गया, जिनमें नौजवान पुलिस हिरासत में लाठियों से पिटते दिखाई दे रहे हैं, आंदोलनकारियों के मकान बिना नोटिस दिये ध्वस्त किये जा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

बालिका के साथ दुष्कर्म

देवली, 14 जून (निसं)। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि उक्त प्रकरण में पीड़िता तथा आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस पीड़िता का मैडिकल बोर्ड से मैडिकल भी करवा रही है। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि पीड़िता 8 वर्षीय है जबकि दुष्कर्म का आरोपी 17 वर्षीय है। इस मामले को लेकर पीड़िता के माता-पिता मंगलवार को स्थानीय थाने पहुंचे। पुलिस के अनुसार उक्त घटना 5 जून की बताई जा रही है।

- **देवली के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी भी नाबालिग (17 वर्ष) है।**

पीड़िता के माता-पिता ने बताया कि आरोपी किशोर पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। इधर दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई

(शेष पृष्ठ 5 पर)

विपक्ष के खेमे में एकता से ज्यादा मतभेद नज़र आ रहे हैं

मतभेद का एक बड़ा कारण है, अचानक ममता बनर्जी द्वारा विपक्ष के 22 वरिष्ठ नेताओं की बैठक आहूत करना, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। ममता बनर्जी की एकल कोशिश, जिसके अन्तर्गत उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार के बारे में निर्णय लेने के लिये, 22 नेता एवं मुख्यमंत्री आमंत्रित किये हैं, अपनी भँवें पहले ही तरेर चुकी हैं। मुख्यमंत्रियों तथा नेताओं को एकाएक लिखे गये इस पत्र से विपक्ष की एकता के बजाय, एक दरार सी पैदा होती दिखाई दी है।

दो वामपंथी नेता- सीताराम येचुरी तथा डी. राजा मीटिंग में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस एकल प्रयास से विपक्ष के सभी प्रमुख नेता विस्मित हैं। जहाँ तक ज़मीनी स्तर की बात है, वामपंथी दल ममता बनर्जी तथा बंगाल में अपनाये जा रहे बाहुबल-आधारित तौर तरीकों के धुर विरोध में हैं।

दूसरी तरफ, उन पर ऐसे आरोप भी हैं कि वे अन्य दलों से आगे बढ़ने के लिये, साम्प्रदायिक राजनीति का सहारा ले रही हैं। उनका कहना है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वामपंथी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ इस संबंध में बात कर ही रही थीं, उसी समय ममता अपनी तरफ से लिखे गये इस पत्र को लेकर एकाएक बीच में कूद पड़ीं। वामपंथी दलों का मूल सोच यह है कि

- **मार्क्सवादी पार्टी के सीताराम येचुरी व सी.पी.आई. के ए. राजा ने बैठक में उपस्थित होने में असमर्थता जतायी है।**
- **इन दोनों नेताओं का कहना है, जब सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी व उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर लगातार सम्पर्क में है, तो ममता बनर्जी द्वारा अचानक विपक्ष की बैठक बुलाना व इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता।**

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दूसरे दिन भी ई.डी. द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ जारी रही

कई वरिष्ठ पार्टी के नेता, जो राहुल के साथ, "सत्याग्रह" के लिए ई.डी. के मुख्यालय जा रहे थे, रास्ते में पुलिस द्वारा रोक कर, दिल्ली के विभिन्न थानों में भेजे गये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की खरीद में काले धन को कथित रूप से वैध बनाने को लेकर एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। ई.डी. के तीन सीनियर अधिकारियों ने उससे विभाग के मुख्यालय में पूछताछ की। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कम्पनी है जिसे जवाहर लाल नेहरू ने नैशनल हैरल्ड और उसके सहायक हिन्दी व उर्दू प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिए शुरू किया था।

- **प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ ई.डी. कार्यालय जा रही थीं, उनको भी पुलिस ने रोका, पर फिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा कवच प्रदत्त है।**
- **चिदंबरम, जो प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे, ने कहा कि, ई.डी. द्वारा की जा रही पूछताछ की कार्यवाही गैर कानूनी है, क्योंकि अभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई और न ही कोई मुकदमा दायर हुआ है।**
- **ई.डी. सूत्रों का प्रत्युत्तर में कहना है कि, चिदंबरम गलत कह रहे हैं, क्योंकि पी.एम.एल.ए. कानून के तहत दोनों के खिलाफ दिसंबर 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था तथा दोनों ने 50,000 रूपये का बॉण्ड भर कर जमानत ली है।**

सोमवार की भांति राहुल को दो घंटे की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक दिया गया। ई.डी. ऑफिस की सशस्त्र अर्द्धसैन्य बलों ने जबरर्दस्त बैरिकेडिंग की हुई है और यहां से आने-जाने वाली प्रत्येक कार को पुलिस चैक कर रही है ताकि "सत्याग्रह" के लिए यहां पहुंचने की

(शेष पृष्ठ 5 पर)